न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

निगरानी संख्या 10/2009 (पंचायत एक्ट)

(मृतक) देवीराम पुत्र सूखाराम जाति कोली निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1/1 हरभेजी पत्नी देवीराम
1/2 अमरसिंह पुत्र देवीराम
1/3 कमला पुत्री देवीराम
1/4 पुनिया पुत्री देवीराम
1/5 द्रोपती पुत्री देवीराम
1/6 रामा पुत्री देवीराम

} जातियान कोली निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

सायलान

बनाम

जगदीश पुत्र नानगा जाति ब्राहमण निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

गैर सायल

निगरानी विरूद्ध पंचायत समिति रूपवास दिनांक 15.12.1999 व आदेश दिनांक 5.10.1998 ग्राम पंचायत अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री राधेलाल शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री रमनलाल मिततल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 07.06.2018

सायलान द्वारा जरिये वकील उक्त निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध गैरसायल ग्राम पंचायत अंधियारी तहसील रूपवास के आदेश दिनांक 5.10.1998 एवं अध्यक्ष वित एवं प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति रूपवास दिनांक 15.12.1999 बाबत गैत मंजूरी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । ग्राम पंचायत अंधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेशों के जरिये गैर सायल जगदीश पुत्र नानिगाराम जाति ब्राहमण निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर के हक में गैत मंजूरी स्वीकृत की गई है जिससे व्यथित होकर गैर सायलान द्वारा यह निगरानी पेश की गई है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 7.6.2018 को वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादग्रस्त प्लाट सायलान का विरासतकालीन है जिस पर पुरखों के समय से ही सायलान का कब्जा है जो आज भी बदस्तूर है। जिसमें सायलान पशु बांधते है, घूडा डालते है, उपला लकडी ईंधन इत्यादि रखने के काम आता है, लडामनी बनी हुई है, पीपल का पेड है जिसके नीचे सायलान के देवी देवताओं के थान बने हुये है। सायलान की पुरखों से कब्जे की भूमि पर पुख्ता मकान बनाने की मंजूरी हेतु सायल के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, किन्तु ग्राम पचांयत अंधियारी द्वारा सायल के प्रार्थना पत्र को पेंडिग में डाल कर विधि विरूद्ध तरीके से गैर सायल के हक में निगरानी अधीन आदेश के जरिये गैर सायल के हक में गैत मंजूरी स्वीकृत कर ली गई। गैर सायल के हक में यह मंजूरी बिना किसी जांच, बिना मौका मुआयना किये, बिना कब्जा देखे एवं बिना सायलान को सुने एकतरफा में जारी की गई है जो काबिल मंसूखी है। वकील सायल का यह भी कहना है कि गैर सायल का इस जमीन मुतदाविया पर न

तो स्वामित्व अधिकार है न ही कब्जा था न वर्तमान में है। गैर सायल का किसी भी सूरत में जमीन मुतदाविया से कोई संबध नहीं है बाबजूद इसके ग्राम पंचायत अंधिकारी ने विवादग्रस्त आराजी पर गैर सायल को मंजूरी देदी गई है। यह आदेश मनमाना एवं नॉन स्पीकिंग आर्डर है जो निरस्तनीय है। वकील सायल का यह भी कथन है कि पंचायत समिति रूपवास द्वारा जब उक्त जमीन मुतदाविया का मौका निरीक्षण किया तो मौका नोट मय नक्शा तैयार किया जिसमें इस पूरी जमीन पर सायल का ही कब्जा दिखाया गया है। वादग्रस्त जमीन बाबत सिविल न्यायालय में दावा चल रहा है जिसमें सायल के हक में टी0आई0 जारी की गई है उसकी प्रति भी सायल के द्वारा सरपंच को उपलब्ध करादी गई बाबजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी अधीन मंजूरी आदेश पारित किया गया है जो कतई न्यायिक नहीं है। यह कि आदेश ग्राम पंचायत में मौका निरीक्षण की तारीख तथा नाप में हुई कटिंग से स्पष्ट है कि कोई मौका निरीक्षण नही किया गया तथा आदेश में विवादित जगह की पैमायश व हदूद अरबा भी गलत दर्ज किये गये है एवं पंचायत के आदेश में दरवाजा, मोरी, जंगला, परनाले का भी कोई विवरण नहीं होने से आदेश स्वीकृति तामीर अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। सायल द्वारा पूर्व में न्यायालय न्यायालय श्रीमान के यहां इसी भूमि बाबत निगरानी की थी जिसका निर्णय दिनांक 14.6.2000 निगरानी संख्या 3/2000 है जिसे न्यायालय श्रीमान ने स्वीकार किया था बाबजूद इसके ग्राम पंचायत/स्थाई प्रशासन समिति रूपवास के आदेश दिनांक दिनांक 5.10.1998 एवं 15.12. 1999 नॉनस्पीकिंग, मनमाना, एवं आरवीट्रेरी आदेश है जो काबिल खारिजी के है। अन्त में वकील सायल द्वारा निवेदन किया है कि सायल की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत/स्थाई प्रशासन समिति रूपवास के आदेश दिनांक दिनांक 5.10.1998 एवं 15.12. 1999 निरस्त किये जावे।

वकील गैर सायल द्वारा तहत अदालतों ग्राम पंचायत अंधियारी एवं स्थाई प्रशासन समिति रूपवास के निगरानी अधीन ओदश दिनांक 5.10.1998 एवं 15.12.199 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालतों द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही निगरानी अधीन आदेश पारित किये गये है जिनमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि सिविल न्यायालय में टी0आई0 दिनांक 20.12.1999 का है जबकि निर्माण मंजूरी 5.10.1998 को नियमानुसार मिल चुकी थी। उक्त टी0आई0 वक्त मंजूरी अस्तित्व में ही नहीं थी तो सायल का यह कहना कतई गलत है कि टी0आई0 की पालना नहीं की गई। सायल का यह कहना कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण मंजूरी विधिविरूद्ध दी गई है इस संबध में न तो सायल द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश किया जिससे मंजूरी को विधिविरूद्ध माना जा सके। उक्त कथन सायल द्वारा मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्यों पर गैर सायल को तंग व परेशान करने एवं जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की मंशा को दर्शाता है। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत ने वकायदा निर्माण मंजूरी के संबध में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण की गई थी। ग्राम पंचायत अंधियारी द्वारा नियमानुसार उज्रदारी नोटिस भी जारी किये गये जिसमें किसी ने कोई उज्रदारी नहीं की गई। गैर सायल के हक में उक्त मंजूरी सर्वसम्मति से दी गई है। प्रस्तुत निगरानी तथ्यों से परे पेश की गई है जो आधारहीन होने के कारण काबिल मंसूखी है। सायल का यह कहना कि पंचायत समिति द्वारा उसके हक में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है लेकिन उस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। कोई भी दस्तावेज बिना हस्ताक्षरों के विश्वसनीय नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्माण मंजूरी दिनांक 5.10. 1998 की अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति रूपवास द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 15.12.1999 में पुष्ठी की गई है। अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति रूपवास द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.12.1999 में मौका कमेटी द्वारा विवादित जमीन का मौका देखा जाना एवं ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 5.10.1998 को बहाल रखा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा

जारी निर्माण मंजूरी दिनांक 5.10.1998 वकायदा गैर सायल के कब्जे , मौके, एवं आराजी मुतदाविया की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के उपरान्त पत्रावली कोरम के समक्ष वास्ते परीक्षण पेश होने के उपरान्त गैर सायल के हक में जारी की गई है जिस पर सरपंच, उपसरपंच, एवं कोरम के सभी सदस्यों के उनकी सर्वसहमति के हस्ताक्षर अंकित है। जिसको अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति रूपवास के निर्णय 15.12.1999 के द्वारा भी पुष्टी की गई है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार जारी निर्माण मंजूरी के खिलाफ पेश की गई विचाराधीन निगरानी सारहीन होने एवं सायल का कोई सरोकार न होने के कारण काबिल मंसूखी है। अन्त में वकील गैर सायल द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने एवं आज्ञा जेरे निगरानी से पीडित पक्षकार ना होने के कारण खारिज की जावे एवं हर दो तहत अदालतों के फैसले दिनांक 5.10.1998 एवं 15.12.1999 यथावत रखे जावें।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कोंपर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील गैर सायल द्वारा ग्राम पंचायत अंधियारी द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति दिनांक 5.10.1998 एवं प्रशासन स्थाई समिति रूपवास के अपीलीय निर्णय दिनांक 15.12.1999 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। सायल इस प्रकरण में मुख्यतः यह कहते हुये आये है कि आराजी मुतदाविया पर उनका कब्जा है, तथा सिविल न्यायालय के स्थगन के बाबजूद मंजूरी गैर सायल के हक में कर दी गई तथा मौका जांच नहीं की गई न ही विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण की गई एवं एकतरफा में निर्णय पारित किया गया जिस पर कंटिग होना मौके का निरीक्षण न किया जा स्पष्ट करता है। वकील सायल के कथनों के विरूद्ध गैर सायल के कथनो से हम सहमत है। आराजी मुतदाविया पर सायल के कब्जे की बाबत ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे उसका कब्जा माना जा सके वे जो पंचायत समिति रूपवास द्वारा मौका रिपोर्ट का जिक्र कर रहे है उस पर किसी के हस्ताक्षर ही नहीं है तो वह किस तरह से प्रमाणित मानी जा सकती है। सिविल न्यायालय के स्थगन के संबध में सिविल न्यायालय में टी0आई0 दिनांक 20.12.1999 का है जबकि निर्माण मंजूरी 5.10.1998 को नियमानुसार मिल चुकी थी। उक्त टी0आई0 वक्त मंजूरी अस्तित्व में ही नहीं थी तो सायल का यह कहना कतई गलत है कि टी0आई0 की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत के मंजूरी आदेश दिनांक 5.10.1998 के अवलोकन से कतई नहीं लगता कि वक्त जारी मंजूरी नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई हो क्यों कि उक्त मंजूरी के संबध में पत्रावली वकायदा कोरम के समक्ष वास्ते स्वीकृति रखी गई थी। जिस पर सरपंच, उपसरंपच के साथ साथ सभी कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद है। इसके अलावा इस निर्माण मंजूरी की पुष्टी अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति रूपवास के निर्णय दिनांक 15.12.1999 से वखूबी होती है। जिसमें स्पष्ट किया है कि '' पत्रावली में मौका कमेटी द्वारा मौका देखा जा चुका है वाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर पंचायत निर्णय दिनांक 5.10.1998 बहाल रखा जाता है । निर्णय पढकर सरे इजलास सुनाया गया'' । इस प्रकार ग्राम पचांयत अंधियारी द्वारा जारी मंजूरी को अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रखा है। लिहाजा हर दो तहत अदालतों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.10.1998 एवं 15.12.1999 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह निगरानी खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा हर दो तहत अदालतों के फैसले क्रमशः ग्राम पंचायत अंधियारी दिनांक 5.10. 1998 एवं अध्यक्ष प्रशासन स्थाई समिति पं0सं0 रूपवास दिनांक 15.12.1999 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 7.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर,
भरतपुर